



2026:AHC:37991

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 5882/2026

अजय

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 4 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : दीपांकर शुक्ला, मुकेश कुमार पाण्डेय

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आज सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार शर्मा द्वारा दाखिल संक्षिप्त प्रतिउत्तर शपथपत्र तथा वकालतनामा पत्रावली पर लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा पीड़िता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार शर्मा को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
3. पीड़िता स्वयं अपनी इच्छा से न्यायालय में उपस्थित हुई और प्रस्तुत किया कि उसने पूर्व में ही आवेदक के साथ विवाह कर लिया है तथा उनके विवाह से एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ है। वह अपने नवजात शिशु के साथ अपने वैवाहिक गृह में निवास कर रही है तथा आवेदक के परिवार के सदस्यों ने भी उसे आवेदक की विधिवत् विवाहिता पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पीड़िता द्वारा दिया गया यह आश्वासन पत्रावली पर लिया गया और 'X' के रूप में चिह्नित किया गया।

4. पीड़िता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान आज दाखिल संक्षिप्त प्रतिउत्तर शपथपत्र के पैरा-3 एवं 4 की ओर आकृष्ट किया, जिसमें पीड़िता ने कहा है कि वह अब आवेदक के विरुद्ध आगे विचारण जारी रखने की इच्छा नहीं रखती क्योंकि उसने उसके साथ विवाह कर लिया है और उनके विवाह से एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ है तथा वह अब अपने वैवाहिक गृह में प्रसन्नतापूर्वक निवास कर रही है। तथापि उनकी ओर से यह भी कहा गया कि आवेदक पर कुछ शर्तें अधिरोपित की जायें ताकि वह पीड़िता को अपनी विधिवत् विवाहिता पत्नी के रूप में रखने से विमुख न हो सके।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार कथित घटना के समय पीड़िता की आयु लगभग 18 वर्ष थी। आवेदक पीड़िता एवं उसके बच्चे को अपने घर में प्रसन्नतापूर्वक रखने के लिए तैयार है, अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाय। आवेदक दि० 06.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को आवेदक की उक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गम्भीरता तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि उभय पक्ष विवाह करने के लिए सहमत हैं, वाद के गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किये मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

8. अतः वाद के गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किए हुए आवेदक अजय को मु.अ.सं० 801/2024, अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 64(1) बी.एन.एस. तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5j(ii)/6, थाना- दिबियापुर, जिला- औरैया में संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो स्थानीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर छोड़ दिया जाय।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- i) आवेदक अपनी रिहाई के एक माह के अन्दर पीड़िता के साथ विधिवत् विवाह करेगा।
 - ii) आवेदक विवेचना या परीक्षण के दौरान अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों व पीड़िता/शिकायतकर्ता को डरायेगा/धमकायेगा नहीं।
 - iii) आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, वह परीक्षण के दौरान बिना कोई अनावश्यक स्थगन लिए नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iv) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद ऐसा कोई अपराध कारित नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए आवेदक अभियुक्त है अथवा जिसके किये जाने का उस पर संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, जिसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से विरत रहना पड़े अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हो।
9. इस आदेश का अनुपालन न किये जाने की दशा में, पीड़िता को आवेदक को प्रदत्त जमानत रद्द कराने हेतु उचित प्रार्थना पत्र दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

दिनांक : 18 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"